कार्यालय–निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/साप्र /बी–1/कनि.सहा/2018/2019 दिनांक 27.06.2020 द्वारा श्री कुश यादव मैरिट नम्बर 2747 को सवाईमाधोपुर जिला आवंटित किया गया था। श्री कुश यादव द्वारा राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में अपील संख्या 1054/2020 कुश यादव बनाम राजस्थान सरकार व अन्य दायर की गई।

याचिका में माननीय अधिकरण द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.09.2020 में याचिकार्थी को प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपना अभ्यावेदन पेश करने और प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा उक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने की स्थिति में विधि अनुसार प्रकरण निस्तारित कर 'SPEAKING ORDER' जारी किये जाने सम्बन्धी आदेश प्रदान किये गए।

माननीय अधिकरण निर्णय के अनुसरण मे याचिकार्थी कुश यादव द्वारा अभ्यावेदन दिनांक 21.10.2020 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उनकी पत्नी राउप्रावि बहरोड अलवर मे अध्यापक के पद कार्यरत है एवं याची को पति–पत्नी प्रकरण का लाभ देते हुए अलवर जिला आवंटन करने की मांग की है।

माननीय न्यायालय निर्णय एवं राज्य सरकार एवं विभाग द्वारा जारी दिशा–निर्देशो/नियमों/परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण का परीक्षण किया गया एवं उनसे सम्बन्धित अभिलेखों का अवलोकन किया गया। श्री कुश यादव द्वारा दिये गए विकल्प के आधार पर व उनकी मैरिट के अनुसार सवाईमाधोपुर जिला आवंटित किया गया था।

विभाग द्वारा जिला आवंटन हेतु विकल्प पत्र भरवाए गए थे तब श्री कुश यादव को पति पत्नी प्रकरण में विशेष श्रेणी का लाभ दिया गया था। चूंकी इनसे ऊपर की मैरिट वाले अभ्यर्थियो से अलवर जिले की सीटे भर जाने के कारण इन्हे इनकी वरीयता क्रम के हिसाब से सवाईमाधोपुर जिले का आवंटन किया गया है, इसलिए पति–पत्नी प्रकरण मे विशेष श्रेणी के आधार पर पुनः लाभ देना अनुचित है।

कार्मिक द्वारा कार्यग्रहण किया जा चुका है, इच्छित स्थान पर पदस्थापन की मांग अधिकारपूर्वक नहीं की जा सकती। इच्छित स्थान की जगह अन्यत्र पदस्थापित किये जाने से किसी भी लोकसेवक के विधिक अधिकारों का हनन एवं सेवानियमों का किसी प्रकार से उल्लंघन नहीं होता।

प्रशासनिक सुधार (अनुभाग–3) विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प. 1(1)प्र.सु./अनु–3/2020पार्ट, जयपुर, दिनांक 18.05.2020 की पालना एवं विभागीय निर्देश–क्रमांक प. 17(3) शिक्षा–2/2013 जयपुर, दिनांक 29.05.2020 के अनुसार ही काउन्सलिंग प्रक्रिया के द्वारा श्री कुश यादव को विशेष श्रेणी/पति–पत्नी प्रकरण का लाभ देते हुए सवाईमाधोपुर जिले का आवंटन किया गया है श्री कुश यादव द्वारा अलवर जले मे पदस्थापन की मांग की गई है, जिला आवंटन के समय अलवर जिले मे कुल 210 रिक्तियां उपलब्ध थी, जिनमे से शासन के निर्देशानुसार वरीयता क्रम से 9, 1 एवं 200 स्थान/रिक्तियां क्रमशः विकलांग, परित्यक्ता एवं एकल महिला वाली अभ्यर्थियों को वरीयता तथा प्राथमिकता आधार पर अलवर जिले का आवंटन हो जाने से श्री कुश यादव द्वारा वांछित जिलों के प्राथमिकता क्रमानुसार शेष उपलब्ध रिक्तियो में से प्राथमिकता अनुसार सवाईमाधोपुर जिला आवंटित हुआ था जो कि पूर्णतः सही व नियामनुसार है।

प्रशासनिक सुधार विभाग के परिपत्र दिनांक 18.05.2020 के निर्देशानुसार उपलब्ध रिक्तियो एवं चयनित अभ्यर्थियो की वरियता को ध्यान मे रखकर जिला आवंटन कर रिक्त पदो को भर दिया गया। जिला आवंटन में परिपत्र दिनांक 18.05.2020 की अनुपालना में कुछ कार्मिको को गृह जिला आवंटित नहीं हो सका। उसके पश्चात डीपीसी से पद रिक्त होने के कारण परिवेदनाओ को विभागाध्यक्ष स्तर पर सुना गया तथा विभागीय नियमो की पालना द्वारा परिवेदनाओं का निस्तारण करते हुए यथासंभव अधिकाधिक अभ्यर्थियो को तत्समय विभाग के पास उपलब्ध पदों के अनुसार उनके पूर्व पदस्थापन जिले परिवर्तित किये गये। लेकिन विभाग के पास कुछ जिलों में पदों की अनुपलब्धता के कारण सभी कार्मिकों को उनके गृह जिले/इच्छित जिले में पदस्थापन किया जाना संभव नहीं है

अतः कार्मिक को पूर्व में ही काउन्सलिंग द्वारा जिला चयन का अवसर प्रदान किये जाने एवं विशेष श्रेणी का लाभ दिए जाने के कारण एतदद्वारा द्वारा दिनांक 21.10.2020 को प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है। सम्बन्धित सूचित हो।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक शिविरा/माध्य/साप्र/बी–1/कुशयादव/1054/2020/10 दिनांक – 13/1/21

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. श्रीमान संयुक्त शासन सचिव महोदय प्रशासनिक सुधार (अनुभाग 3) विभाग, राज. जयपुर।
2. सिस्टम ऐनालिसिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
3. अनुभाग अधिकारी, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा के पत्र क्रमांक शिविरा/मा./विधि/बी–3/29958/ए/20 दिनांक 16.12.2020 के क्रम में।
4. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा सवाईमाधोपुर को निर्देशित किया जाता है कि संबंधित कार्मिक को अभ्यावेदन निस्तारण से अवगत करावे।
5. संबंधित कार्मिक श्री कुश यादव, कनि.सहा. राउमावि. बामनवास, सवाईमाधोपुर
6. रक्षित पत्रावली।

निदेशक